

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
--------	------------------	---------------------

22/7/19

पञ्जाली पेशा की उम्मीद एक अच्छे उद्योग
 अधिकारी ने बताया कि वाडीगल न एक
 लाल भूखण्ड न्यायालय में पट्टा दिया/मिलने
 में नोडरिड जारी किया गये। पिछली पेशी दिनांक
 22/11/17 निमित्त थी। उक्त निमित्त रिची के
 परिवारिण उपस्थित नहीं हो सके। न्यायालय
 द्वारा एक तरफा कार्यवाही के माध्यम से
 गणेश परिवारी ग्रामीण परिवेश के लक्षित होकर
 एक खिदवा महीला हैं- कानुनिक प्रचारादिपों
 को नहीं समझती हैं तथा परिवारिण किमत
 हो जाने एवं चारफाई जैसी गंभीर खिमाती
 होने से हंजलील में इलाज रहती तथा
 निमित्त पेशी पर अधिक निमित्त नहीं कर
 सकी। उनके उपलब्ध एक न्यायालय में किसी
 अन्य कार्यवाही हेतु काफी हो-मैंने अपने
 अधिकार का उक्त लाल के लक्षण लक्षण
 हो जानकारी में बताया कि परिवारी के
 खिदवा एक तरफा कार्यवाही होकर एक
 प्रथम निमित्त जारी किया गया किन्तु
 उक्त निमित्त 09/13 का पट्टा दिया सीमा
 न्यायालय लाल एक तरफा निमित्त का
 उपलब्ध न्यायालय लक्षण इसके लक्षण में
 पेशी में लक्षण में बताया कि प्रचारादिपों
 कानुनिक न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं।
 किमत होने चारफाई जैसी खिमाती होकर
 इलाज रहती हो गलत होने से खिमात
 नहीं है प्रमुख में दिनांक 30/1/18 के लक्षण
 सीमात किया गया। यह निमित्त दिनांक 17/7/18

हस्ताक्षर/
सूचना नं.

के पट्टा दिया गया। जो कानून मया है

बी.

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - ११०/१८ शीर्षक बनाम
 ७५८८ ११/१८/१८

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर सूचना नं
--------	------------------	-----------------------

इस प्रकार यह यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और खासि लेने योग्य है। उपर्युक्त के अधिक में आदेश ११/१८/१८ में १३ अक्टूबर १९१८ में संलग्न संख्या २ में दो तरफ का कार्यवाही चली गई है तथा यह उपर्युक्त के साथ को भी निरिच्छीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है और इसे के समय का ध्यान देते उपर्युक्त भी प्रस्तुत नहीं है। फिलहाल उपर्युक्त संलग्न निम्न प्रमाण पत्रों के आदि पक्षकारों के विरुद्ध बहस चली गयी। पञ्चमली एक इन्वॉल्व्ड रिपोर्ट की संवेको देना दिया जा चली तथा डि प्रार्थना तथा विचार होने के बाद को प्रमाण पत्र/इन्वॉल्व्ड प्रस्तुत नहीं दिये। तथा निर्दिष्ट दिनांक ३०/११/१८ का हुआ। और उपर्युक्त दिनांक १७/११/१८ का प्रस्तुत दिया जा भवधि के नीचे प्रस्तुत नहीं दिये जाते है उक्त प्रार्थना पोषणीय नहीं होने से खासि योग्य है।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र ०३ २१३ का आतीका दिया जाता है। पञ्चमली फॉलोअप शुभार होकर नगर से कम दि लगे।

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा